

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0ले0टे0/17/

दिनांक:-

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0ले0टे0/17/685 दिनांक 10.11.17 के द्वारा लैब टेक्नीशियन से वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन पद पर पदोन्नत कार्मिकों की पदोन्नति पर कार्यग्रहण अवधि दिनांक 05.12.2017 तक बढ़ाई गई थी, जो दिनांक 15.12.2017 तक बढ़ाई जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर

दिनांक:- 4/12/17

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0ले0टे0/17/ 747

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
- 2- निजी सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
- 4- निदेशक, एमएसयू/ईएसआई योजना, जयपुर ।
- 5- संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान ।
- 6- समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोन ।
- 7- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
- 8- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, राजस्थान ।
- 9- संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी/पीएचसी, राजस्थान ।
- 10- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करावे।
- 11- आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर